

5698/14

विक्रय पत्र

- 1:- बैनामा:- 14,00,000/-रुपये
- 2:- सर्किल दर से आयी मालियत:- 14,31,000/-रुपये
- 3- शासनादेशानुसार स्त्री के हक में बैनामा होने के कारण 25 प्रतिशत की छूट से दिया गया स्टाम्प शुल्क:-54,000/-रुपये
- 4:- इकरारनामे में अदा स्टाम्प शुल्क:- शून्य
- 5:- वर्तमान में दिया गया स्टाम्प शुल्क:-54,000/-रुपये
- 6:- स्टाम्प शीटो की संख्या:-13
- 7:- विक्रीत सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल:- 0.1590 हैक्टेयर अर्थात 1590 वर्गमीटर
- 8:- वार्षिक लगान:-
- 9:- विक्रीत सम्पत्ति का विवरण:-कृषि भूमि
(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक और सम्पत्ति यदि भवान है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण है तो)
- 10:- कवर्ड एरिया (यदि निर्माण हो तो):- नहीं है।
- 11:- स्थित ग्राम:-ग्राम बेलडी सालहापुर परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।
(मौजा या गौहल्ला, परगना, तहसील, नगरीय अर्द्धनगरीय आदि),
- 12:- विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित है अथवा नहीं:-नहीं।
- 13:-विक्रेता का स्वामित्व का आधार:-द्वारा बैनामा दिनांक 29-01-2013 द0स0 888
- 14:- चकबन्दी चल रही है अथवा नहीं:- नहीं।
- 15:- भूमि पट्टे आदि की है अथवा नहीं:- नहीं।
- 16:- कृषि भूमि की स्थिति में:- सिंचित है।
(बाग, पेड, सिंचित/असिंचित अथवा सर्किल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)
- 17:- रेट लिस्ट में पृष्ठ संख्या व कालम संख्या:- पृष्ठ सं0 14 कालम संख्या 23
- 18:-सर्किल रेट 1000/-रुपये प्रति वर्गमीटर, भूमि का रकबा 1000 वर्गमीटर से अधिक व 2500 वर्गमीटर से कम होने के कारण दस प्रतिशत छूट के अनुसार 90 प्रतिशत सर्किल रेट 900/-रुपये प्रतिवर्गमीटर से मालियत 14,31,000/-रुपये होती है।
- 19:-आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर:- लागू नहीं।
- 20:-मुख्य सड़क से दूरी:-राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली- हरिद्वार पर स्थित है।
- 21:- क्या क्रेता उत्तराखण्ड का कृषक है अथवा नहीं:-क्रेता उत्तराखण्ड राज्य का कृषक है।
- 22:- फोटो एवं अगूली चिन्ह गवाहान एवं क्रेता की शनाख्त पर प्रमाणित कर्ता:-श्री संजय वैश्य एडवोकेट, रुडकी
- 23:- विक्रेता का नाम:-श्री राजकुमार वर्मा पुत्र स्व0 श्री लालचन्द वर्मा निवासी मकान नं0 42 आवास विकास कलौनी रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार (पैन कार्ड नम्बर ए बी जी पी वी 7011 एफ)





भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000

भारत



सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

सखण्ड UTTARAKHAND

A 420743

A 420743

अधिकांशी (वकील)

कांड रु. 55/-

31 MAY 2014

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

2

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से मुक्त है किसी प्रकार से हस्तान्तरण तथा बन्धक आदि नहीं है और कोई ऋण आदि महकमें बैंक सोसायटी



VAISH
Advocate

Civil Court, Roorkee (Haridwar)
Regn.No.-UP-2677/89, UA-1822/04



VAISH
Advocate
Roorkee (Haridwar)

Regn.No.-UP-2677/89, UA-1822/04

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

₹
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 420239

A 420239

कोषाधिकारी (रुइकी)
कोष संख्या 5501

27 MAY 2014

जिजा हरिद्वार उत्तराखण्ड

3

आदि से या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके लिया हुआ नहीं है और सम्पत्ति निम्नलिखित पर कोई वाद विवाद आदि किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय, कार्यालय अथवा न्यायधिकरण में विचाराधीन नहीं है और न ही सम्पत्ति

K. K. K. K.

Mr. Walde

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

₹
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

तराखण्ड UTTARAKHAND

A 420698

A 420698

3 MAY 2014

हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

4

निम्नलिखित पर स्टाम्प अपवचन का वाद लम्बित है, निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तान्तरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप से सक्षम है अतः प्रतिज्ञ ने अपनी मनबुद्धि तथा इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर व दबाव के निम्नलिखित सम्पत्ति को

m. m. m. m. m.

K. K. K. K. K.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



INDIA

Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 420581

A 420581

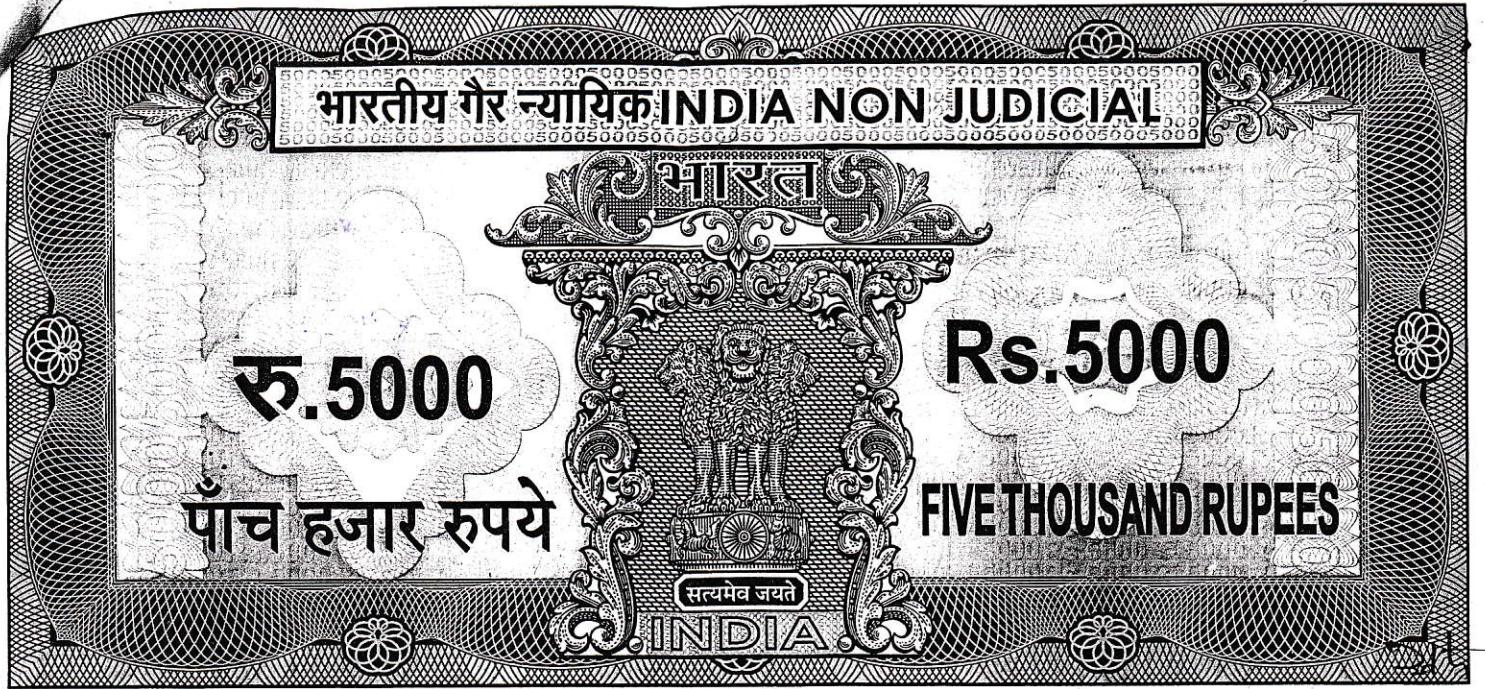
कोषाधिकारी (रुडकी)
कोड संख्या 5500
29 MAY 2014
जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

5

बदले मुबलिग 14,00,000/-रुपयें (चौदह लाख रुपयें) में केता श्रीमती फरहा मलिक पत्नी श्री मुजीब मलिक निवासी 131, सोलानीपुरम रुडकी (पैन कार्ड नम्बर ए एल बी पी एम 3411 बी) द्वारा मुख्तारेआम श्री मुजीब मलिक पुत्र श्री वहीदुददीन मलिक निवासी 131 सोलानीपुरम रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार (पैन कार्ड नम्बर ए सी एम पी एम 1050 ई) मुख्तारनामा आम लिखित तिथि 30-09-2011 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 4 जिल्द 19 के पृष्ठ 155 से 160 में नम्बर 170 पर दिनांक 01-10-2011 को सब रजिस्टार कार्यालय रुडकी में दर्ज है। को विक्रय व हस्तान्तरित कर दी

Mr. Malik

Amrinder



उत्तरांचल UTTARANCHAL

332015

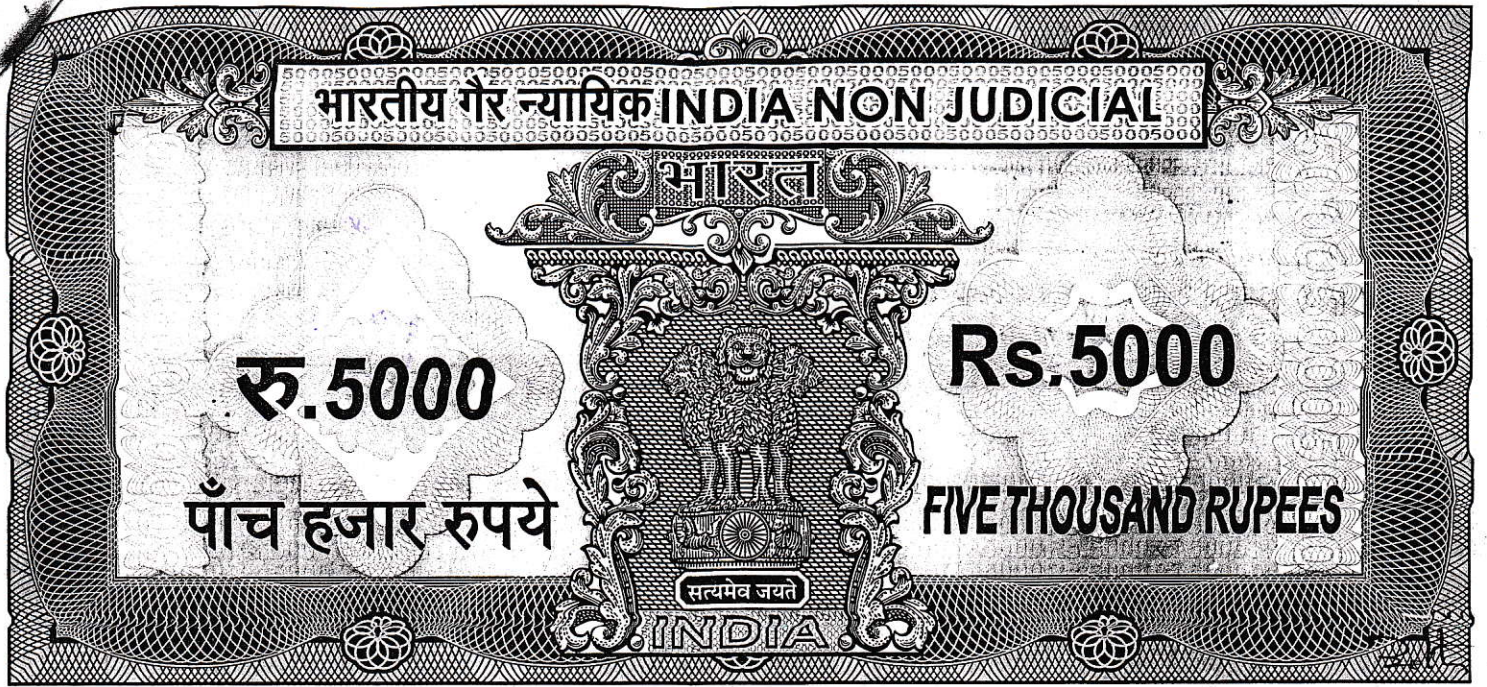
कोषाधिकारी (रुइकी)
कोड संख्या 5500
29 MAY 2014
जिला रुड़की उत्तराखण्ड

6

है तथा कुल मूल्य राशि की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है तत्पश्चात् इसके कोई मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रही है और न भविष्य में होगी कब्जा व दखल क्रेता महोदय का बखूबी वाकई मौके पर करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार

m. walsh

Humansal



उत्तरांचल UTTARANCHAL

332016

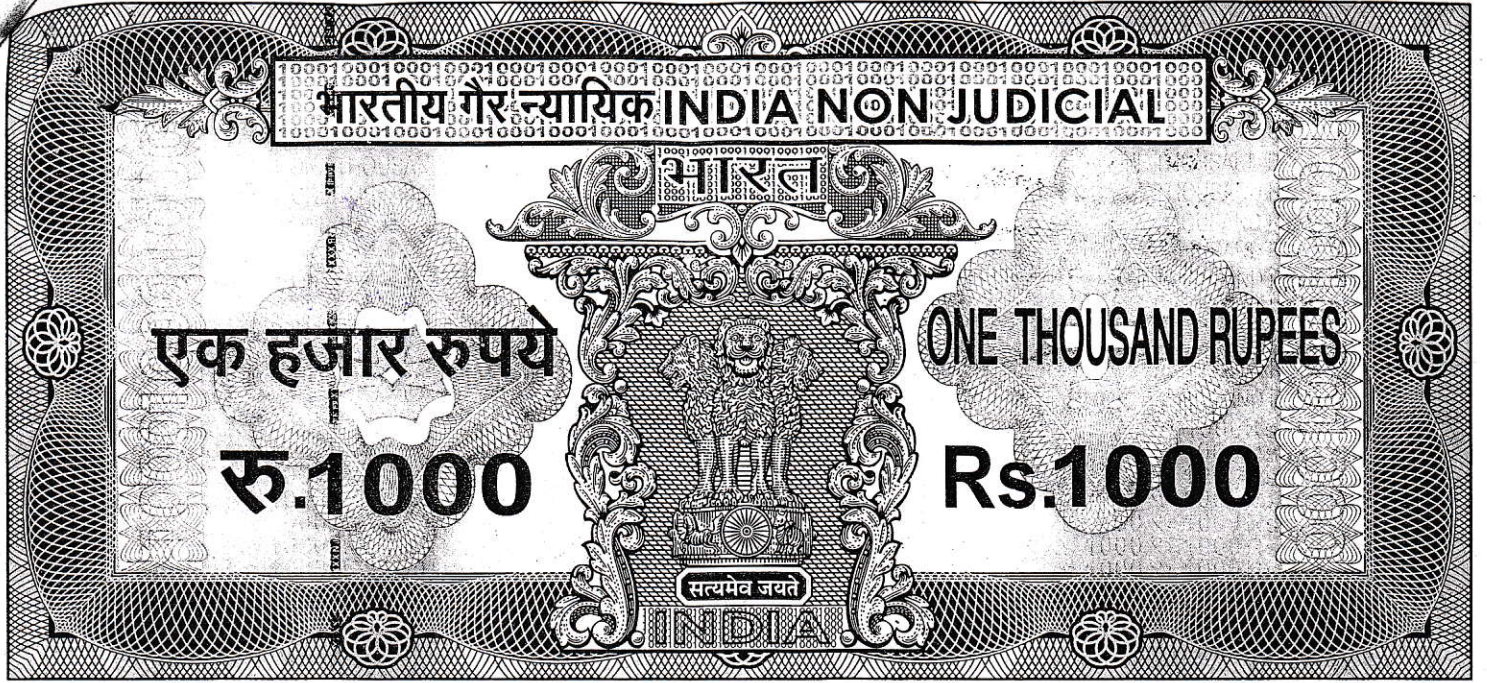
कोषाधिकारी (रुइकी)
कोड संख्या 501
29 MAY 2014
जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

7

से हटा लिया है। अब प्रतिज्ञा वचन देते और प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रेता महोदय सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित कब्जा करके लाभ हंर प्रकार का प्राप्त करें हर प्रकार से अपने भोग व प्रयोग में लावे और जो चाहे सो

Mr. Malhotra

Uttaranchal



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

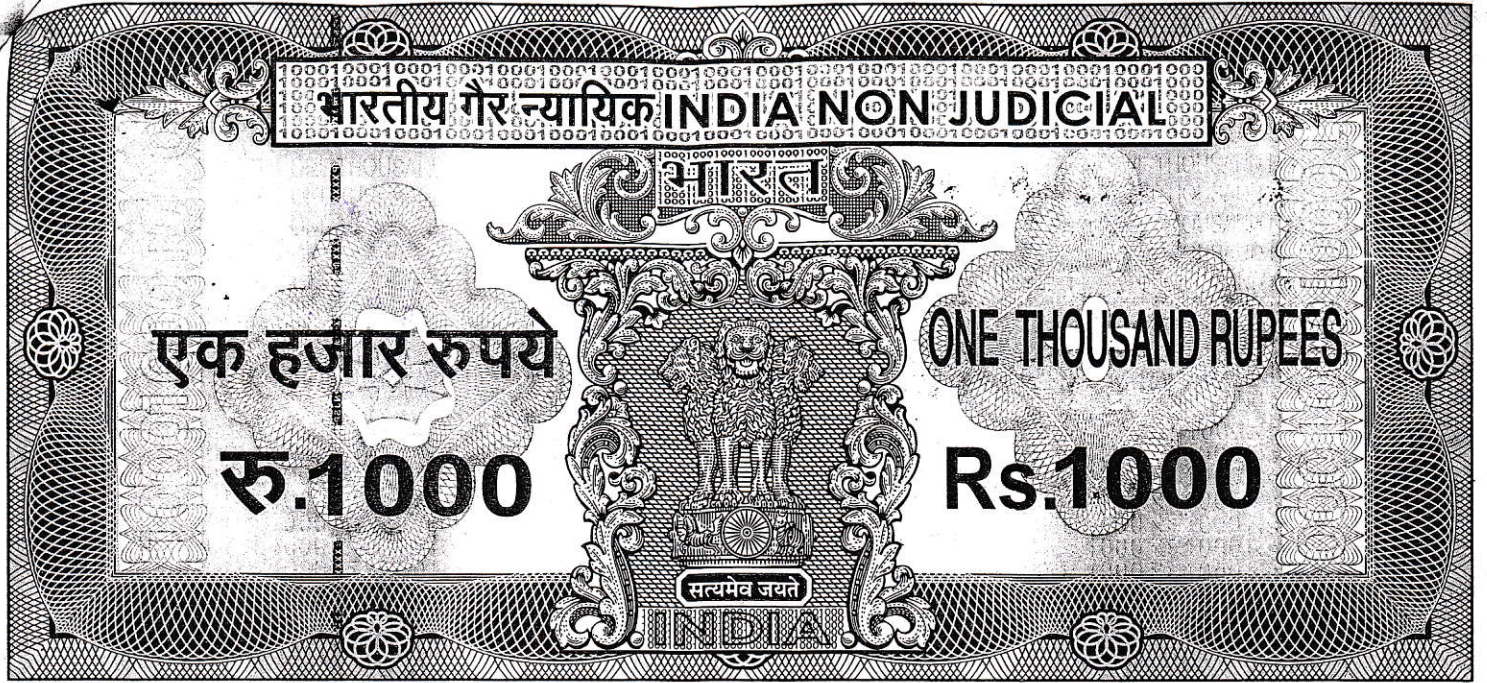


8

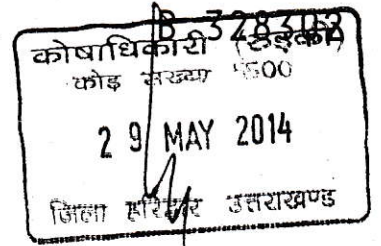
करें प्रतिज्ञ तथा उसके उत्तराधिकारी को विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी वाद विवाद करने पर

W. Malhotra

Ameyan



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

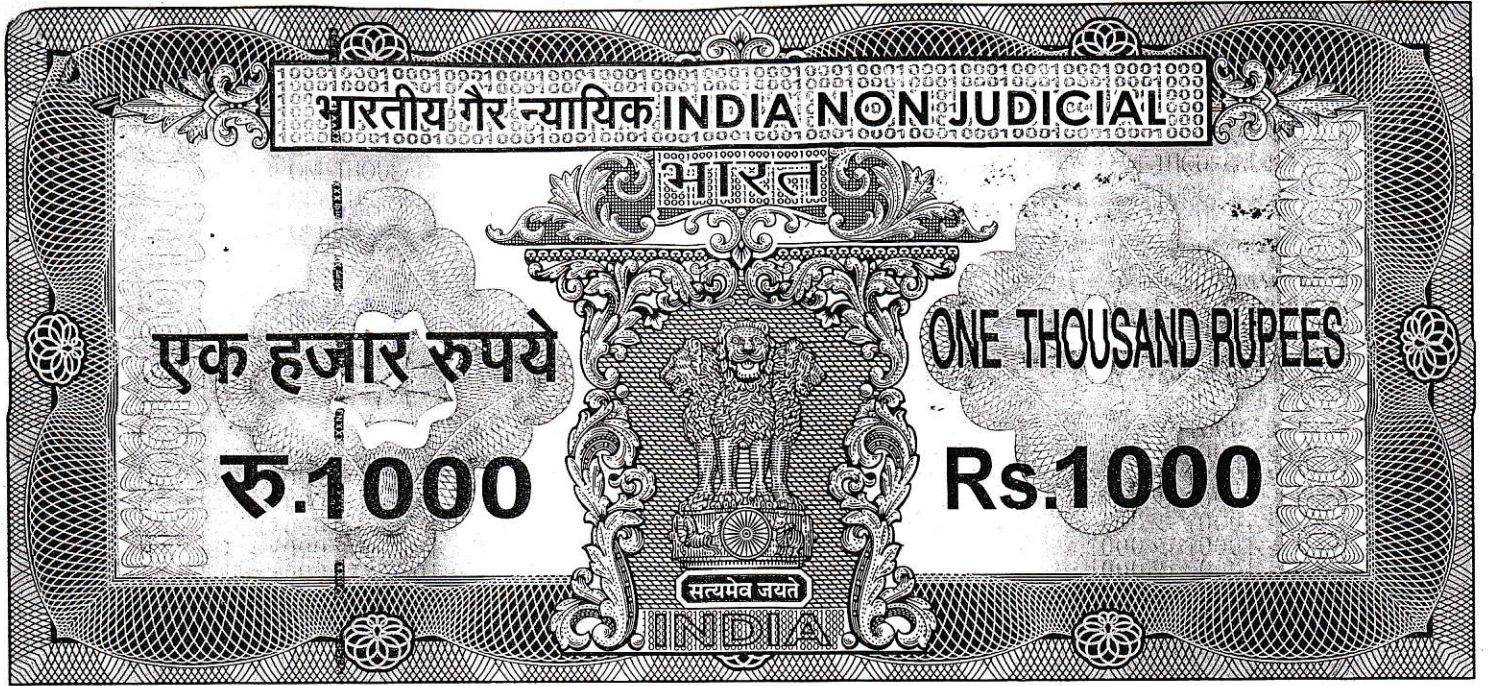


9

निम्न सम्पत्ति कुल या अंश कब्जा व दखल क्रेता उक्त निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश मूल्य राशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी जात

W. mal

Kamran



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 328303

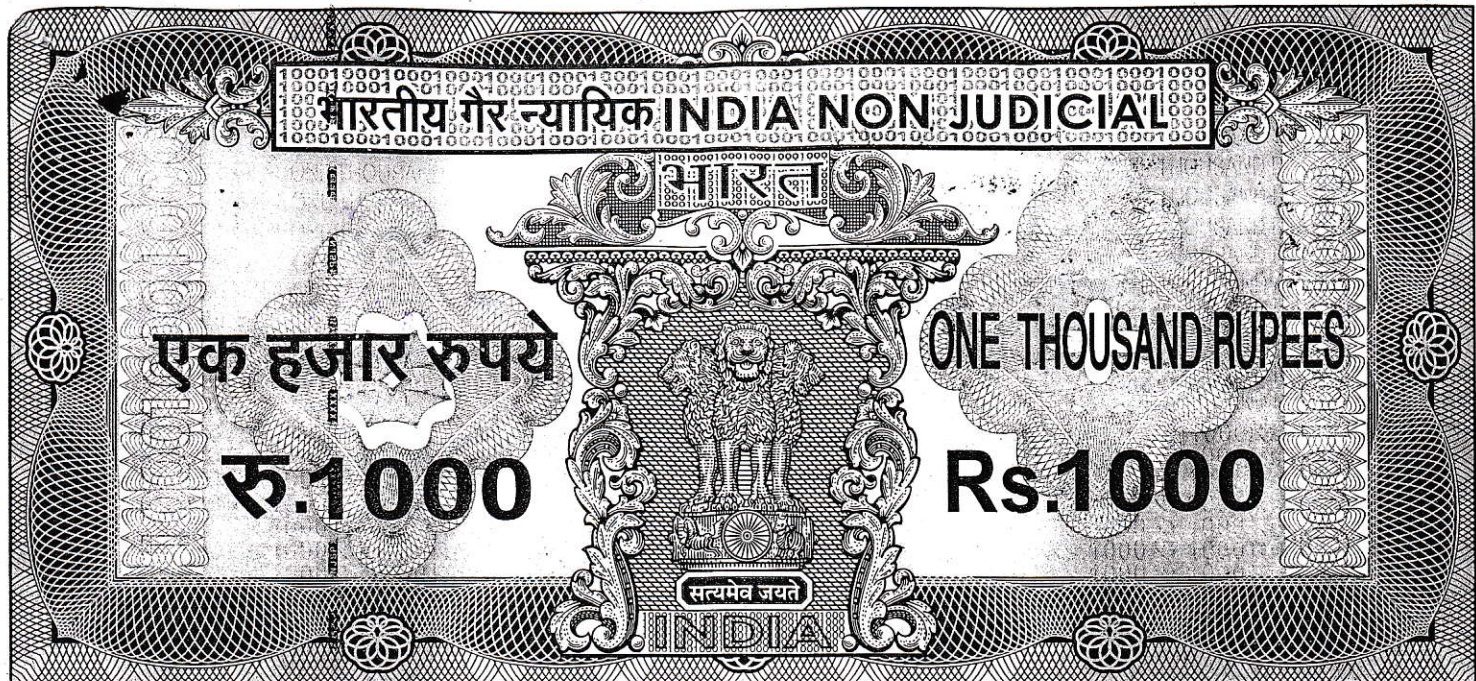
कोषाधिकारी (रुड़की)
कोड सङ्ख्या 500
29 MAY 2014
जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

10

खास जायदाद से वसूल कर लेवे इसमें मुझ प्रतिज्ञ या उसके वारसान को कोई उजर नही होगा नीज प्रतिज्ञ एवं उसके उत्तराधिकारी उन जुमला कानूनी जिम्मेदारी जो कि

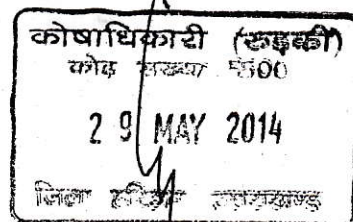
m. walsh

Amrinder



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 328304



11

बख्ते एक प्रतिज्ञ पर आयद होती है का पूरा पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगी व रहेगी।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Mr. Walde

Handwritten signature

23 दिनांक 03/06/14

स्थान 1000 रुपये वाले

हाथ की

मिदली

बही संख्या 1 रजिस्ट्रेशन संख्या 5698 वर्ष 2014

Sale (Immovable)
Sale(Agriculture)

रजिस्ट्रेशन संख्या 45/91

प्रतिफल रु0 : 1,400,000.00

मालियत रु0 : 1,431,000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क
रु0 10,000.00

प्रतिलिपि शुल्क
रु0 20.00

इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क
रु0 260.00

कुल योग
रु0 10,280.00

शब्द लगभग
1,500

श्री मुजीब मलिक मु.आम फरहा मलिक पुत्र श्री वहीदुददीन मलिक निवासी 131 सोलानीपुरम रुडकी ने आज दिनांक 12 Jun 2014 समय मध्य 12PM व 1PM को कार्यालय उपनिबन्धक रुडकी, प्रथम में प्रस्तुत किया।



Mr. M. M. Malik

मुजीब मलिक मु.आम फरहा मलिक

उपनिबन्धक

रुडकी, प्रथम
12-Jun-2014

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री राजकुमार वर्मा पुत्र श्री स्व.लालचन्द वर्मा निवासी मकान न.42 आवास विकास कालोनी रुडकी ने विक्रय धन मुबलिय रु0 1,400,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री मुजीब मलिक मु.आम फरहा मलिक पुत्र श्री वहीदुददीन मलिक निवासी 131 सोलानीपुरम रुडकी ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री शरद गुप्ता पुत्र श्री मामचन्द गुप्ता निवासी 34 सिविल लाईन्स रुडकी तथा श्री मौफीक अहमद पुत्र श्री तौहिद हुसैन निवासी 359/4 सोलानीपुरम रुडकी ने की।

उपनिबन्धक
रुडकी, प्रथम
12-Jun-2014



विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है-संक्रमणीय भूमिधरी 1410 से 1415 फसली के अनुसार भूमि खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 21 कुल रकबई 0.3180 है 0 में से अपना कुल 1/2 भाग अर्थात् अपना कुल हक व हिस्सा भूमि अर्थात् रकबई 0.1590 हैक्टेयर स्थित ग्राम बेलडी साल्हापुर परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार। उक्त भूमि पर कब्जा व दखल मौके पर मुक़िर ने क्रेता का अपने समान करा दिया है। दाखिल खारिज बहक क्रेता कराने में मुक़िर पूरा-पूरा सहयोग देगा, विक्रेता एवं क्रेता व गवाहान के द्वारा जो कागजात व जानकारी उपलब्ध करायी गयी है उसी के अनुसार बैनामें का ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना कुल हक व हिस्सा विक्रय कर दिया है कोई भी अंश शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। विक्रेता ने उक्त भूमि बजरिये बैनामा दिनांक 29-01-2013 को श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र मनफूल सिंह निवासी ग्राम बेलडी साल्हापुर परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार से क्रय की हुई है जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 1719 के पृष्ठ 87 से 112 में नम्बर 888 पर दिनांक 29-01-2013 को सब रजिस्टार कार्यालय रुडकी में दर्ज है। जिसके आधार पर विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो चुका है।

ववरण विक्रय धनराशि प्राप्ति-विक्रेता ने क्रेता महोदय से अंकन 14,00,000/-रूपयें नगद रूबरू गवाहान प्राप्त कर लिये हैं। अब कोई धनराशि इस भूमि की बाबत विक्रेता की क्रेता की ओर शेष नहीं रही है और न ही भविष्य में होगी।

विक्रेता के बाये हाथ की अंगुलियों के निशान:-

अंगुठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



विक्रेता के दाये हाथ की अंगुलियों के निशान:-

अंगुठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



[Signature]

[Signature]

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 5698 वर्ष 2014



Raj Kumar Verma

राजकुमार वर्मा



M. M. Malik

मुजीब मलिक मु.आम
फरहा मलिक



Sharad Gupta

शरद गुप्ता



Mufeez Ahmed

मौफीक अहमद



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, रुड़की, प्रथम

12 Jun 2014

क्रेता के बाये हाथ की अंगुलियों के निशान:-

अंगुठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



क्रेता के बाये हाथ की अंगुलियों के निशान:-

अंगुठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



[Signature]

Mr. Walde

गवाह नम्बर 1

[Signature]
SHARAD GOPRA
8081i Mam Chand Gupta
34, Civil Lines
Roorkee

गवाह नम्बर 2 .Munir. K. Ahmed..

510 Tahid Hussain
11/10-359/4 - Solemn Roorkee
Roorkee.

तहरीर तारिख:-03-06-2014

[Signature]
Sanjay Vaish
Advocate

ड्राफ्टिडबाई:-संजय वैश्य एडवोकेट, तहसील रूडकी जिला हरिद्वार।

SANJAY VAISH
B.Sc. LL.B., Advocate
Civil Court, Roorkee (Haridwar)
Regn.No.-UP-2677/89, UA-1822/04

बही संख्या 1 जिल्द 3,369 के पृष्ठ 309 से 334 पर क्रमांक 5698

पर आज दिनांक 12 Jun 2014 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।



रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
रजिस्ट्रार-निबंधक, रुडकी, प्रथम
12 Jun 2014

बाद संख्या 1958/18-14
असल बस्तावेज वापिस किया गया।

रजिस्ट्रार कर भुगतने
04/06/2014 रुडकी

NR1AV

REGISTRATION DEPARTMENT
JALANDHAR